न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मनोज कुमार (आर. ए. एस.)

अपील संख्या : 2023/89

1. दांखा पुत्री श्री जगन्नाथ जी, आयु 88 वर्ष, जाति माली, निवासी लाम्बावरडा, तहसील नैनवा जिला बून्दी (राज0) हाल पत्नि श्री रामकरण जाति माली, निवासी ग्राम होलासपुरा, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज0)।
2. कन्या बाई पत्नि श्री रामस्वरूप, आयु 40 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम लाम्बाबरडा, तहसील नैनवा जिला बून्दी (राज0)।

——अपीलान्ट

बनाम

1. देवलाल पुत्र श्री भोलू, आयु 53 वर्ष, जाति माली निवासी मालीयों का मोहल्ला, लाम्बाबरडा, तहसील नैनवा जिला बून्दी (राज0)
2. कल्याणी पुत्री गणपत, आयु 40 वर्ष, जाति माली, निवासी ग्राम लाम्बाबरडा, तहसील नैनवा जिला बून्दी (राज0), हाल पत्नि रामनिवास जाति माली, निवासी बावडी तहसील नैनवा, जिला बून्दी (राज0)
3. कैलाशी पुत्री भूरया, आयु 39 वर्ष, जाति माली, निवासी ग्राम लाम्बाबरडा, तहसील नैनवा जिला बून्दी (राज0), हाल पत्नि बजरंगी, जाति माली, निवासी नैनवा, तहसील नैनवा, जिला बून्दी (राज0)
4. रमेश पुत्र रामधन, आयु 35 वर्ष, जाति माली निवासी ग्राम हौलासपुरा तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज0)
5. धन्नी पत्नि स्व0 श्रीगोमदा, आयु 75 वर्ष, जाति माली, निवासी ग्राम लाम्बाबरडा, तहसील नैनवा जिला बून्दी (राज0)
6. सुखपाल पुत्र श्री रघुनाथ, आयु 75 वर्ष, जाति माली, निवासी ग्राम लाम्बाबरडा, तहसील नैनवा जिला बून्दी (राज0)
7. सूरजमल पुत्र श्री रघुनाथ, आयु 72 वर्ष, जाति माली निवासी ग्राम लाम्बावरडा, तहसील नैनवा जिला बून्दी (राज0)
8. प्रभू पुत्र श्री छोगा, आयु 45 वर्ष, जाति माली, निवासी ग्राम होलासपुरा, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी (राज0)
9. भंवरी पुत्री श्री गणपत पत्नि श्री पांचू, आयु 55 वर्ष, जाति माली, निवासी ग्राम लाम्बावरडा, तहसील नैनवा जिला बून्दी (राज0)
10. प्रकाश पुत्र श्री ओंकार, आयु 45 वर्ष, जाति माली, निवासी ग्राम नाहरा तहसील उनियारा, जिला बून्दी (राज0). हाल निवासी पेट्रोल पम्प के पास उनियारा जिला टोंक (राज0)

11. मोती शंकर पुत्र श्री गोमदा, आयु 29 वर्ष, जाति माली, निवासी ग्राम लाम्बाबरडा तहसील नैनवा जिला बून्दी (राज0)
12. राजूलाल पुत्र श्री गोमदा, आयु 27 वर्ष, जाति माली, निवासी ग्राम लाम्बाबरडा, तहसील नैनवा जिला बून्दी (राज0)
13. शकीला पत्नि श्री उस्मान गनी, आयु 47 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी ग्राम लाम्बाबरडा, तहसील नैनवा जिला बून्दी (राज0)
14. शांति पुत्री श्री गणपत, आयु 65 वर्ष, जाति माली, निवासी ग्राम लाम्बाबरडा, तहसील नैनवा जिला बून्दी (राज0), हाल पत्नि तेजमल, जाति माली, निवासी मालीयों के मन्दिर के पास, नैनवा, तहसील नैनवा, जिला बून्दी (राज0)
15. शोजी पुत्र श्री गणपत, आयु 62 वर्ष, जाति माली निवासी ग्राम लाम्बाबरडा, तहसील नैनवा जिला बून्दी (राज0)
16. दल्लू पुत्री श्री रघुनाथ, आयु 65 वर्ष, जाति माली, निवासी ग्राम लाम्बाबरडा, तहसील नैनवा जिला बून्दी (राज0), हाल पत्नि भुवनेश, जाति माली, निवासी ग्राम चरडाना कापरेन, जिला बून्दी (राज0)
17. शाखा प्रबन्धक, बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा देई. तहसील नैनवा, जिला बून्दी (राज0)
18. सरपंच महोदय, ग्राम पंचायत देई, तहसील नैनवा, जिला बून्दी (राज0)
19. सचिव महोदय, ग्राम पंचायत देई, तहसील नैनवा, जिला बून्दी (राज0)
20. तहसीलदार साहब नैनवा, तहसील नैनवा, जिला बून्दी (राज0)
21. नायब तहसीलदार महोदय, देई, उपतहसील देई, तहसील नैनवा जिला बून्दी

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री सूरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट कम 01 की ओर से।
3. श्रीमती आयुषी योगी व श्री रामदयाल शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोन्डेन्ट कम 18, 19 की ओर से।

निर्णय **दिनांक: 18.07.2023**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.03.2023 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पो0 01 की ओर से मूलवाद के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम लाम्बाबरडा पटवार हल्का लाम्बाबरडा भू अभिलेख क्षेत्र जेतपुर तहसील नैनवां जिला बून्दी की कृषि भूमि सम्वत् 2076 से 2078 की जमाबंदी की खाता संख्या 136 की खसरा संख्या 117 रकबा 0.3883 हेक्टयर, खसरा संख्या 118 रकबा 0.3560 हेक्टयर, खसरा संख्या 160 रकबा 0.8414 हेक्टयर, खसरा संख्या 161 रकबा 0.7200 हेक्टयर, खसरा संख्या 162 रकबा 0.5259 हेक्टयर, खसरा संख्या 167 रकबा 0.4854 हेक्टयर, खसरा संख्या 207 रकबा 0.0405 हेक्टयर, खसरा संख्या 80 रकबा 0.5259 हेक्टयर, खसरा संख्या 81 रकबा 1.1002 हेक्टयर, कुल किता 9 कुल रकबा 4.9836 हेक्टयर भूमि स्थित हैं। इसी प्रकार ग्राम लाम्बाबरडा पटवार हल्का लाम्बाबरडा भू अभिलेख क्षेत्र जेतपुर तहसील नैनवां जिला बून्दी की कृषि भूमि सम्वत् 2076 से 2078 की जमाबंदी खाता संख्या 135 की खसरा संख्या 84 रकबा 1.0679 हेक्टयर, खसरा संख्या 85 रकबा 0.6634 हेक्टयर, खसरा संख्या 86 रकबा 0.0324 हेक्टयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.7637 हेक्टयर भूमि स्थित हैं। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि में मृतक खातेदार जगन्नाथ का 1/4 , 1/4 हिस्सा निहित है, खातेदार ज्याना की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस प्रत्यार्थी संख्या 6 सुखपाल, प्रत्यार्थी संख्या 7 सुरजमल प्रत्यार्थी संख्या 11 मोतीशंकर, प्रत्यार्थी संख्या 12 राजूलाल व प्रार्थी है तथा खातेदार भोलू की भी मृत्यु हो चुकी है जिसका वारिस प्रार्थी रेस्पो0 01 ही है। खातेदार सोनिया की मृत्यु हो चुकी है जिसके कोई सुरभी संतान व वारिस नहीं है। खातेदार माधी की भी मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिस प्रत्यार्थी संख्या 10 प्रकाश है। उसका अभी नामान्तकरण दर्ज नही हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमि में मृतक जगन्नाथ का 1/4, 1/4 हिस्सा निहित है उक्त भूमि पर जगन्नाथ जब तक जीवित रहा वही कृषि काश्त करता रहा। मृतक जगन्नाथ के एक मात्र पुत्री दाखा बाई उत्पन्न हुई थी मृतक जगन्नाथ के कोई पुत्र संतान नही होने तथा मृतक जगन्नाथ धार्मिक प्रवृति का व्यक्ति होने से अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने अंतिम क्रियाक्रम व वारिस की सोच कर जो उसका वंश आगे चला सके को ध्यान मे रखकर भोलू आत्मज रूघनाथ से स्नेह व प्रेम होने से वर्षों पूर्व जब भोलू 20–22 वर्ष का था तभी भोलू के पिता रूघनाथ से भोलू को गोद पुत्र रखने की इच्छा जाहिर की तथा भोलू को गोद देने का प्रस्ताव रखा जिसको रूघनाथ ने स्वीकार कर भोलू को गोद देने पर सहमत हो गया तब जगन्नाथ ने समस्त जाति समाज व गांव के मोतबिर व्यक्तियो व परिवारजन को इक्कठा कर भोलू को विधि विधान से अपनी गोद में बिठाकर मंत्र उचारण कर अपना गोद पुत्र होना स्वीकार किया था तथा भोलू के माता पिता ने गोद देना स्वीकार किया था तथा समस्त जाति समाज व गांव के मोतबिर व्यक्तियो में डोल बजाकर भोलू को गोद लेने के नारियल पताशे बंटवाये थे तथा समस्त व्यक्तियों को भोजन करवाया था तब से भोलू जगन्नाथ के पास रहने लगा था। तभी से भोलू जगन्नाथ के पास रहकर जगन्नाथ की सेवा सुश्रा करता चला आ रहा था तथा समस्त चल अचल सम्पति का उपयोग उपभोग जगन्नाथ के साथ भोलू करता चला आ रहा था जगन्नाथ ने अपनी पुत्री दाखा के विवाह के समय पुत्री दाखा को उसके हिस्से में प्राप्त होने वाली समस्त सम्पति की राशि के बदले जेवर व नकद रूपये के रूप में पुत्री

दाखा को अदा कर दिया था तथा उसके बाद जगन्नाथ की सम्पति में दाखा बाई का कोई हक अधिकार शेष नही रहा था। यह कि जगन्नाथ की मृत्यु होने पर जगन्नाथ के समस्त क्रियाक्रम भी भोलू ने एक पुत्र की भांति सम्पन्न करवाये थे जाति समाज व परिवारजन ने फाग के दस्तूर के समय जगन्नाथ की फाग भी भोलू के ही बंधी थी इस प्रकार भोलू ही जगन्नाथ के एक मात्र पुत्र संतान है। जब तक भोलू जीवीत रहा तब तक वह ही जगन्नाथ की खातेदारी की उक्त भूमियो में काबिज होकर फसल बोता व काटता रहा भोलू की मृत्यु अधीन्स्थ न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत होने से करीब 10 माह पूर्व हो चुकी है भोलू की मृत्यु होने पर भोलू का पुत्र प्रार्थी देवलाल बदस्तूर उक्त भूमि पर काबिज होकर फसल बोता व काटता चला आ रहा है। भोलू की पत्नि का भी स्वर्गवास हो चुका है। खातेदार जगन्नाथ की मृत्यु होने पर राजस्व कर्मचारियो द्वारा दस्तावेज के आधार पर अपीलांट प्रत्यार्थी संख्या 1 दाखा बाई का वारिस के तोर पर बिना छानबिन किये राजस्व रिकोर्ड में नाम दर्ज कर दिया जिसकी जानकारी मृतक भोलू को लगने पर भोलू ने अपीलांट प्रत्यार्थी संख्या 1 से उक्त भूमि को अपने नाम लगाने का कई बार तकाजा किया किन्तु अपीलांट प्रत्यार्थी संख्या 1 मृतक भोलू को यह आश्वासन देकर कि उक्त भूमि पर कब्जा आपका ही है तथा आप ही उसके वारिस हो तथा फसल भी आप ही काट रहे हो आप जब कहोगें मैं उक्त भूमि को आप के नाम लगवा दूंगी, कहकर समय निकालती रही तथा भोलू की मृत्यु के बाद अपीलांट प्रत्यार्थी संख्या 1 के मन में बदयान्ति आ गई तथा उक्त भूमि में अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर मोटी रकम लेकर बैचने पर आमदा होने लगी जिसकी जानकारी प्रार्थी रेस्पो0 01 को लगने पर प्रार्थी रेस्पो0 01 ने अपीलांट प्रत्यार्थी संख्या 1 से कहा कि उक्त भूमि का वारिस मृतक भोलू था तथा मृतक भोलू का एक मात्र वारिस मैं हूँ। तुम उक्त भूमि को मेरे नाम लगवा दो तो अपीलांट प्रत्यार्थी संख्या 1 कहने लगी कि यह जमीन तो अब तुम्हे कभी नही मिलेगी इस जमीन को तो मैं बैचान कर मोटी रकम लेकर रहूगी। प्रार्थी रेस्पो0 01 को जानकारी मिली कि अपीलांट प्रत्यार्थी संख्या 1 दाखा बाई ने मोटी रकम लेकर जमीन का बैचान कर दिया है तब प्रार्थी रेस्पो0 01 ने उप तहसील कार्यालय देई में बैचान संबंधी जानकारी प्राप्त की तो पता लगा कि दाखा बाई ने उक्त जमीन का बैचान कर दिया है जिसकी नकल दिनांक 13.02.2023 को निकलवाई तो पता चला कि दाखा बाई ने खाता संख्या 136 का बैचान प्रत्यार्थी संख्या 17 को कर दिया तथा खाता संख्या 135 का भी बैचान करने पर आमदा है। अन्त मे प्रत्यर्थी संख्या 1 को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया कि वह प्रत्यर्थी संख्या 17 से मिलकर प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 1 व 2 मे वर्णित भूमि पर से प्रार्थी को बेदखल नहीं करे तथा प्रार्थी के कृषि काश्त करने, फसल बोने व काटने व उपयोग उपभोग करने में हस्तक्षेप नहीं करे, भूमि को नष्ट भ्रष्ट व हस्तान्तरित नहीं करे तथा प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित भूमि का बेचान अन्य किसी को नहीं करे, रहन नहीं रखे तथा प्रत्यर्थी संख्या 19 से 22 प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित भूमि का नामान्तरकरण तस्दीक नहीं करे, प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित भूमि का पंजीयन अन्य किसी व्यक्ति के नाम नहीं करे तथा उक्त सम्पूर्ण भूमि पर भार दर्ज नहीं करे और

ना अन्य किसी व्यक्ति के नाम हस्तान्तरित करे, ऐसा ना तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करवाये।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेशिका दिनांक 24.03.2023 के द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार कर उक्त विवादित आराजी पर आगामी आदेश तक रिकार्ड व मौके की अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का आदेश पारित किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय आदेशिका दिनांक 24.03.2023 में अंकित आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 01 ने न्यायालय हाजा में अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 24.03.2023 में जारी आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 24.03.2023 में दिए गए आदेश को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 18, 19 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24–03–2023 एकपक्षीय रूप से पारित किया गया था, इस कारण अपीलान्ट्स को माननीय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की कोई जानकारी नहीं रही है, तथा दिनांक 17–05–2023 को अपीलान्ट्स को खेत की जुताई करने के लिये मौके पर जाने पर रेस्पोडेन्ट क्रम–01 ट्रैक्टर के आडे फिर गया और कहा कि मैं इस जमीन को नहीं हांकने दूंगा, तथा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी दी, और कहा कि कोर्ट ने मेरे पक्ष में आदेश दिया है, तुम्हारे जंचे जो कर लो, अपीलांट्स वृद्ध महिलायें है, जो डर गई, तथा दूसरे दिन दिनांक 18–05–2023 को न्यायालय में आकर अधिवक्ता के माध्यम से जानकारी चाही और उसी दिन नकल का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर दिया, जिसकी नकल दिनांक 24–05–2023 को प्राप्त होने पर वकील साहब द्वारा अपील करने की सलाह दी गई, जिस पर अपीलान्ट्स अविलम्ब माननीय न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत कर रही है। इस प्रकार आदेश की दिनांक 24–03–2023 से जानकारी की दिनांक 17–05–2023 तक की अवधि एवं नकल लेने में लगा समय दिनांक 24–05–2022 तक

की अवधि को मियाद में से कन्डोन करने के उपरान्त अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है। अन्त मे अपील मे हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

7. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपील मीमो में अंकित कथनों को दोहराया और निवेदन करते हुए कहा कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण रूप से नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तो का उल्लंघन किया है, जिस दिन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होता है, उसी दिन बिना रिकार्ड का अवलोकन किये ही अपीलान्ट को अस्थाई निषेधाज्ञा से तारीख पेशी दिये जाने के पश्चात् पुनः आदेशिका आलेखित कर विस्तृत निर्णय लिखाया जाकर अन्तरिम निषेधाज्ञा प्रदान की गई, जिसके अवलोकन से ही ज्ञात होता है कि यह अन्तरिम न होकर अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र का अन्तिम निस्तारण है, सीपीसी के प्रावधानों से परे जाकर प्रथम पेशी ही चार की दी गई है, जो दिनांक 11–07–2023 है. माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने विधि का उल्लंघन करते हुये खातेदार व खरीदकर्ता को अपने अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया है, जो कानून के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय दोनों पक्षों को सुनना भी मुनासिब नहीं समझता है, एक पक्ष को सुनकर ही आदेश पारित किया है, जो पूर्णतया विधि के विपरीत है। एक तरफ अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र का अन्तिम रूप से निस्तारण कर दिया है, और पक्षकारान की तलबी के लिये तारीख पेशी दी गई है, माननीय अधीनस्थ न्यायालय को ऐसे आदेश पारित करते समय दोनों पक्षकारान को सुना जाना आवश्यक होता है, परन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा जाकर उक्त अपलाधीन आदेश पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तरिम आदेश पारित करने से पूर्व अप्रार्थीगण को एक माह से कम की तारीख पेशी अंकित कर नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है, परन्तु यहां पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर प्रकरण के प्रस्तुतिकरण के समय ही सुनवाई के अधिकारों से वंचित कर एकतरफा निर्णय पारित करते हुवे अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र को पूर्णतया निस्तारण ही कर दिया है, और जो तारीख पेशी दी गई है. वह सिर्फ तलबी हेतु दी गई है, जिससे प्रतीत होता है कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि के अनुसार निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। अस्थाई निषेधाज्ञा के मुख्य बिन्दु का निर्धारण नहीं किया जाकर माननीय अधीनस्थ न्यायालय का जो निर्णय है वह अस्थाई निषेधाज्ञा के तथाकथित बिन्दु प्रथम दृष्टिया प्रकरण होना सुविधा का सन्तुलन होना व अपरिमित क्षति तीनों बिन्दुओं का निर्धारण करते हुये अपनी आदेशिका में उल्लेख किया जाना आवश्यक होता है, माननीय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने बिना माईण्ड एप्लाई किये ही प्रथम दृष्टिया जिस तरह से अप्रार्थी/अपीलान्ट को पाबन्द किया है, वह विधि विरूद्ध होने से निरस्त होने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट क्रम 1 न तो खातेदार आसामी है, न ही खातेदार आसामी के विरूद्ध किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है, फिर भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने जिस तरह से रेस्पोडेन्ट क्रम को लाभान्वित करने के लिये सीपीसी के प्रावधानों के विपरीत जाकर गोद जैसे बिन्दु का प्रथम दृष्टिया ही निर्धारण कर दिया, पाग

के दस्तूर के आधार पर अधिकारों की घोषणा कर दी, जबकि रिकार्ड के अनुसार अपीलान्ट क्रम 1 अपने पिता की आराजी की एक मात्र स्वामिनी है, माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने जिस प्रकार से कब्जे के तथ्य को निर्धारित किया है, वह भी पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है, अपीलान्ट्स को खातेदार होते हुये भी अपनी आराजी पर काश्त करने से रोकने एवं उसका उपयोग उपभोग करने से रोकने बाबत जिस तरह से पाबन्द किया है, वह पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। वाद एवं प्रार्थनापत्र में सरपंच व सचिव को भी पक्षकार बनाया है, जबकि पंचायतीराज एक्ट के तहत ग्राम पंचायत के विरूद्ध कोई वाद प्रस्तुत करने से पूर्व उसको दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना अनिवार्य है, किन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को भी नजर अन्दाज किया है।माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गोदपुत्र के आधार पर घोषणा का वाद था जो पूर्णतया विधि के विरूद्ध है, गोदपुत्र के आधार पर माननीय अधीनस्थ न्यायालय घोषणा नहीं कर सकता। यह सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार है, इस प्रकार माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से परे जाकर आदेश पारित किया है, जो पूर्णतया त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 24.03.2023 खारिज किए जाने योग्य है। साथ ही यह भी निवेदन किया कि यदि न्यायालय हाजा प्रकरण को प्रतिप्रेषित करते है तो निश्चित अवधि में प्रकरण को निस्तारित करने का अधीनस्थ न्यायालय निर्देश प्रदान करे। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 18 व 19 ने अधिवक्ता अपीलांट की बहस का समर्थन किया। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार किये की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2023 को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया प्रकरण को गुणावगुण पर देखने से पूर्व इसकी प्रकृति एवं अधीनस्थ न्यायालय के अंतरित आदेश का अवलोकन किया जाना उचित होगा। इस स्टेज पर गुणावगुण पर गंभीरता से देखने की आवश्यकता नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में इसी माह में आगामी तारीख पेशी नियत है। अतः अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में जाकर प्रार्थना–पत्र के अंतिम निस्तारण हेतु निवेदन किया जाना चाहिए। प्रश्नगत आदेश दिनांक 24.03.2023 द्वारा केवल अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। जब अपीलार्थी को अन्तरिम आदेश संज्ञान में आया तो पहले अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय मे जाकर अपना पक्ष रखना चाहिए। अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं है। शीघ्र सुनवाई एवं निर्णय हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया। अंत में अभिभाषक रेस्पो0 ने अपील अपीलांट खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बहाल रखने का निवेदन किया।

9. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। न्यायहित में

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के साथ संलग्न दस्तावेजों में प्रमाणित नकल जमाबंदी संवत् 2076–2078 खसरा नं0 84 रकबा 1.0679, खसरा नं0 85 रकबा 0.6634, खसरा नं0 86 रकबा 0.0324 की कुल किता 3 रकबा 1.76 है0 भूमि पर गणपत हिस्सा– 1/28 जाति– माली सा. देह खातेदार अ. विव– नामा. न. 826, 851,866, कैलाशी पुत्री भूरया हिस्सा– 1/24 जाति माली सा. देह खातेदार अ.विव– नामा. न. 826,851, 866, ज्याना पुत्री गणपत हिस्सा– 1/28 जाति– माली सा. देह खातेदार अ. विव– नामा. न. 826, 851,866, दाखां पुत्री जगन्नाथ हिस्सा 1/4 जाति– माली सा. देह खातेदार अ. विव– नामा. न. 826, 851, 866, धन्नी पनि स्व. गोमदा हिस्सा 1/72 जाति माली सा. देह खातेदार अ. विव– नामा. न. 826,851,866, पाना पत्नि स्व. रुघनाथ हिस्सा– 1/24 जाति माली सा. देह खातेदार अ. विव– नामा. न. 826, 851,866, भवरी पुत्री गणपत हिस्सा– 1/28 जाति– माली सा. देह खातेदार अ. विव– नामा. न. 826,851,866, भोलू पुत्र रूघनाथ हिस्सा– 1/24 जाति माली सा. देह खातेदार अ. विव– नामा. न. 826,851,866, माधो पुत्री गणपत हिस्सा– 1/28 जाति– माली सा. देह खातेदार अ. विव. नामा. न. 826,851,866, मोतीशंकर पुत्र गोमदा हिस्सा – 1/72 जाति माली सा. देह खातेदार अविव– नामा न. 826,851,866, राजुलाल पुत्र गोमदा हिस्सा 1/72 जाति– माली सा. देह खातेदार अ. विव– नामान. 826,851,866, शकीला पानि उस्मानुगनी हिस्सा – 1/4 जाति– मुसलमान फकीर सा. देह खातेदार अ. विव– नामा. न. 826, 851, 866 राहिन हिस्सा–1/4 (पूर्ण खाता) आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा देई मु.वि. क., शान्ती पुत्री गणपत हिस्सा– 1/28 जाति– माली सा. देह खातेदार अ. विव. नामा. न. 826, 851,866, शोजी पुत्र गणपत हिस्सा– 1/28 जाति माली सा. देह खातेदार अ. विव. नामा. न. 826,851, 866, सुखपाल पुत्र रूघनाथ हिस्सा– 1/24 जाति माली सा. देह खातेदार अ. विव– नामा. न. 826,851, 866, सुरजमल पुत्र रूघनाथ हिस्सा– 1/24 जाति माली सा. देह खातेदार अ. विव. नामा. न. 826,851,866, हजारा पुत्र गणपत हिस्सा– 1/28 जाति माली सा. देह खातेदार अ. विव– नामा न. 826,851,866, की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। प्रमाणित नकल जमाबंदी संवत् 2076–2078 खसरा नं0 117 रकबा 0.3883, खसरा नं0 118 रकबा 0.3560, खसरा नं0 160 रकबा 0.8414, खसरा नं0 161 रकबा 0.7200, खसरा नं0 162 रकबा 0.5259, खसरा नं0 167 रकबा 0.4854 की कुल किता 9 रकबा 4.98 है0 भूमि पर कल्याणी पुत्री गणपत हिस्सा– 1/28 जाति– माली सा. देह खातेदार अ. विव– नामा. न. 826,851, कैलासी पुत्री भूरया हिस्सा 1/32 जाति माली सा. देह खातेदार अ. विव– नामा. न. 826, 851, केली पुत्री रूघनाथ हिस्सा– 1 / 32 जाति– माली सा. देह खातेदार अ.विव. नामा. न. 826, 851, ज्याना पुत्री गणपत हिस्सा– 1/28 जाति माली सा. देह खातेदार अ.विव. नामा. न. 826,851, दल्लू पुत्री रूघनाथ हिस्सा– 1 / 32 जाति– माती सा. देह खातेदार अ. विव– नामा. न. 826,851, दाखा पुत्री जगन्नाथ हिस्सा – 1/4 जाति– माली सा. देह खातेदार अ. विव– नामा. न. 826,851, धन्नी पत्नि गोमदा हिस्सा 1/96 जाति– माली सा. देह खातेदार अ. विव. नामा. न. 826,851, भवरी पुत्री गणपत हिस्सा– 1/28 जाति– माली सा. देह खातेदार अ. विव–

नामा. न. 826,851, भोलू पुत्र रूघनाथ हिस्सा 1/32 जाति– माली सा. देह खातेदार अ. विव– नामा. न. 826,851, मांगीलाल पुत्र बजरंगा हिस्सा– 1/4 जाति माली सा. देह खातेदार अ. विव– नामा. न. 826, 851 राहिन हिस्सा – 1/4 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा देई मु.बि. क., माधी पुत्री गणपत हिस्सा– 1/28 जाति– माली सा. देह खातेदार अ. विव– नामा. न. 826,851, मोतीशंकर पुत्र गोमदा हिस्सा 1/96 जाति– माली सा. देह खातेदार अ. विव– नामा. न. 826,851, राजुलाल पुत्र गोमदा हिस्सा 1/96 जाति– माली सा. देह खातेदार अ. विव. नामा. न. 826, 851, शान्ती पुत्री गणपत हिस्सा– 1/28 जाति माली सा. देह खातेदार अ. विव– नामा. न. 826,851, शोजी पुत्र गणपत हिस्सा– 1/28 जाति माली सा. देह खातेदार अ. विव. नामा. न. 826,851, सुखपाल पुत्र रूघनाथ हिस्सा 1/32 जाति माली सा. देह खातेदार अ. विव. नामा. न. 826, 851, सूरजमल पुत्र रूघनाथ हिस्सा 1/32 जाति माली सा. देह खातेदार अ. विव. नामा. न. 826, 851, सोन्या पुत्री रूघनाथ हिस्सा 1/32 जाति– माली सा. देह खातेदार अ. विव. नामा. न. 826, 851, हजारा पुत्र गणपत हिस्सा– 1/28 जाति– माली सा. देह खातेदार अ . विव. नामा. न. 826, 851 की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है, तथा प्रमाणित खसरा नक्शा एवं जमाबंदी प्रतिलिपी ग्राम लाम्बाबर्डा तहसील नैनवां जिला बूंदी है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार ग्राम लाम्बाबरडा की खाता संख्या 136 में वर्णित विवादित आराजी किता 9 कुल रकबा 4.98 हेक्टर भूमि में अपीलांट कम संख्या 01 दाखा पुत्री जगन्नाथ का हिस्सा 1/4 निहित है। पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 01.12.2022 के द्वारा केता (अपीलांट कम 02) को बेचान की गयी है। उक्त विकय पत्र की फोटोप्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे आदेशिका दिनांक 24.03.2023 से स्पष्ट है कि वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। तथा अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.07.2023 नियत की गई। अपीलांट अप्रार्थी संख्या 1 व 17 ने अपील प्रस्तुत की है। न्यायालय हाजा मे भी सभी पक्षकारान की तलबी नहीं हुई है। अधिवक्ता अपीलांट ने हस्तगत प्रकरण में बहस सुनकर जल्दी निस्तारण का निवेदन किया, जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 18 व 19 ने भी बहस हेतु सहमति प्रकट की। उभयपक्षकारान प्रकरण का त्वरित निस्तारण चाहते है। हम अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के इस कथन से सहमत है कि प्रश्नगत आदेश दिनांक 24.03.2023 अंतरिम आदेश की श्रेणी मे आता है तथा प्रकरण में आगामी पेशी अधीनस्थ न्यायालय मे इसी माह में नियत है, अतः उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में बहस कर प्रार्थना–पत्र का अंतिम निस्तारण करवा सकते है। अधिवक्ता अपीलांट ने स्वयं को प्रश्नगत आदेश दिनांक 24.03.2023 से प्रभावित होने का कथन करते हुए प्रकरण का त्वरित निस्तारण किये जाने का निवेदन किया है। हमारे विनम्र मत मे प्रश्नगत आदेश दिनांक 24.03.2023 अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश है। अपीलांट अप्रार्थी को प्रकरण संज्ञान में आने पर सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखकर प्रकरण को शीघ्र अंतिम रूप से निस्तारण का प्रयास करना चाहिए था। हालांकि यह सही है कि अधीनस्थ न्यायालय ने सी.पी.सी. आदेश 39 नियम 3 व 3A की पालना नहीं की है, परन्तु चूंकि प्रकरण में आगामी तारीख भी इसी माह में है, अतः

सर्वप्रथम अपीलांट अप्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखकर प्रकरण को निर्णित करवाना चाहिए। दोनो पक्ष इस पर सहमत है कि प्रार्थना–पत्र का शीघ्र अंतिम निस्तारण होना चाहिए। अतः हम इस स्टेज पर अधीनस्थ न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 24.03.2023 मे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखते हुए प्रार्थना–पत्र का अंतिम निस्तारण करवा सकते है। अतः वर्तमान स्तर पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली प्राप्ति से 30 दिवस के अंदर प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का अंतिम रूप से गुणावगुण पर निस्तारण करे।

11. निर्णय आज दिनांक 18.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा